اٰیاتها ٦٤ | ٢٤ سُوْرَةُ النُّوْرِ مَدَنِيَّةٌ ١٠٢ | رکوعاتها ٩

सूरए नूर मदनिय्या है, इस में चौंसठ आयतें और नव रुकूअ़ हैं

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो निहायत मेहरबान रह़्म वाला[1]

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ

येह एक सूरत है कि हम ने उतारी और हम ने उस के अह़काम फ़र्ज़ किये[2] और हम ने उस में रोशन आयतें नाज़िल फ़रमाईं कि

تَذَكَّرُوْنَ ۝١ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ

तुम ध्यान करो जो औ़रत बदकार हो और जो मर्द तो उन में हर एक को सो कोड़े

جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ

लगाओ[3] और तुम्हें उन पर तर्स न आए अल्लाह के दीन में[4] अगर तुम ईमान लाते हो

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢

अल्लाह और पिछले दिन पर और चाहिये कि उन की सज़ा के वक़्त मुसल्मानों का एक गुरौह ह़ाज़िर हो[5]

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ

बदकार मर्द निकाह़ न करे मगर बदकार औ़रत या शिर्क वाली से और बदकार औ़रत से निकाह़ न करे मगर बदकार मर्द

1 : सूरए नूर मदनिय्या है, इस में नव रुकूअ़ चौंसठ आयतें हैं। **2 :** और उन पर अ़मल करना बन्दों पर लाज़िम किया। **3 :** येह ख़िता़ब हुक्काम को है कि जिस मर्द या औ़रत से ज़िना सरज़द हो उस की "ह़द" येह है कि उस के सो 100 कोड़े लगाओ, येह "ह़द" हुर ग़ैर मुह़सन (आज़ाद कुंवारे) की है क्यूं कि हुर मुह़सन (आज़ाद शादी शुदा) का हुक्म येह है कि उस को रज्म किया जाए जैसा कि ह़दीस शरीफ़ में वारिद है कि माइ़ज़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ को ब हुक्मे नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم रज्म किया गया, और मुह़सन वोह आज़ाद मुसल्मान है जो मुकल्लफ़ हो और निकाहे़ सह़ीह़ के साथ सोह़बत कर चुका हो ख़्वाह एक ही मरतबा, ऐसे शख़्स से ज़िना साबित हो तो रज्म किया जाएगा और अगर इन में से एक बात भी न हो मसलन हुर न हो या मुसल्मान न हो या आ़क़िल बालिग़ न हो या उस ने कभी अपनी बीबी के साथ सोह़बत न की हो या जिस के साथ की हो उस के साथ निकाह़ फ़ासिद हुवा हो तो येह सब ग़ैर मुह़सन में दाख़िल हैं और इन सब का हुक्म कोड़े मारना है। **मसाइल :** मर्द को कोड़े लगाने के वक़्त खड़ा किया जाए और उस के तमाम कपड़े उतार दिये जाएं सिवा तहबन्द के और उस के तमाम बदन पर कोड़े लगाए जाएं सिवाए सर चेहरे और शर्मगाह के, कोड़े इस त़रह़ लगाए जाएं कि अलम (दर्द) गोश्त तक न पहुंचे और कोड़ा मुतवस्सित़ दरजे का हो और औ़रत को कोड़े लगाने के वक़्त खड़ा न किया जाए न उस के कपड़े उतारे जाएं अलबत्ता अगर पोस्तीन (चमड़े का जुब्बा) या रूएंदार कपड़े पहने हुए हो तो उतार दिये जाएं। येह हुक्म हुर और हुर्रा का है या'नी आज़ाद मर्द और औ़रत का। और बांदी ग़ुलाम की ह़द इस से निस्फ़ या'नी पचास कोड़े हैं जैसा कि सूरए निसाअ में मज़्कूर हो चुका। सुबूते ज़िना या तो चार मर्दों की गवाहियों से होता है या ज़िना करने वाले के चार मरतबा इक़्रार कर लेने से। फिर भी इमाम बार बार सुवाल करेगा और दरयाफ़्त करेगा कि ज़िना से क्या मुराद है ? कहां किया, किस से किया, कब किया, अगर इन सब को बयान कर दिया तो ज़िना साबित होगा वरना नहीं। और गवाहों को सराह़तन अपना मुआ़यना बयान करना होगा बिग़ैर इस के सुबूत न होगा। लिवात़त ज़िना में दाख़िल नहीं लिहाज़ा इस फ़े'ल से ह़द वाजिब नहीं होती, लेकिन ता'ज़ीर वाजिब होती है और इस ता'ज़ीर में सह़ाबा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُم के चन्द क़ौल मरवी हैं : आग में जला देना, ग़र्क़ कर देना, बुलन्दी से गिराना और ऊपर से पथ्थर बरसाना, फ़ाइल व मफ़्ऊ़ल दोनों का एक ही हुक्म है। (تفسیر احمدی) **4 :** या'नी हुदूद के पूरा करने में कमी न करो और दीन में मज़बूत़ और मुतसल्लिब (सख़्ती से कारबन्द) रहो। **5 :** ताकि इ़ब्रत ह़ासिल हो।

www.dawateislami.net

اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٣ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ

या मुश्रिक[6] और येह काम[7] ईमान वालों पर ह़राम है[8] और जो पारसा औ़रतों को

الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً

ऐ़ब लगाएं फिर चार गवाह मुआ़यना के न लाएं तो उन्हें अस्सी कोड़े लगाओ

وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝٤ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ

और उन की कोई गवाही कभी न मानो[9] और वोही फ़ासिक़ हैं मगर जो

تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥ وَالَّذِيْنَ

इस के बा'द तौबा कर लें और संवर जाएं[10] तो बेशक अल्लाह बख़्शने वाला मेह़रबान है और वोह जो

يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ

अपनी औ़रतों को ऐ़ब लगाएं[11] और उन के पास अपने बयान के सिवा गवाह न हों तो ऐसे किसी की

6 : क्यूं कि ख़बीस का मैलान ख़बीस ही की त़रफ़ होता है नेकों को ख़बीसों की त़रफ़ रग़बत नहीं होती। **शाने नुज़ूल :** मुहाजिरीन में बा'ज़े बिल्कुल नादार थे न उन के पास कुछ माल था न उन का कोई अ़ज़ीज़ क़रीब था और बदकार मुश्रिका औ़रतें दौलत मन्द और मालदार थीं येह देख कर किसी मुहाजिर को ख़याल आया कि अगर उन से निकाह़ कर लिया जाए तो उन की दौलत काम में आएगी। सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم से उन्हों ने इस की इजाज़त चाही। इस पर येह आयते करीमा नाज़िल हुई और उन्हें इस से रोक दिया गया। 7 : या'नी बदकारों से निकाह़ करना 8 : इब्तिदाए इस्लाम में ज़ानिया से निकाह़ करना ह़राम था बा'द में आयत وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ से मन्सूख़ हो गया। 9 : इस आयत से चन्द मसाइल साबित हुए। **मस्अला 1 :** जो शख़्स किसी पारसा मर्द या औ़रत को ज़िना की तोहमत लगाए और इस पर चार मुआ़यना के गवाह पेश न कर सके तो उस पर ह़द वाजिब हो जाती है अस्सी कोड़े। आयत में "मुह़्सनात" लफ़्ज़ ख़ुसूसे वाक़िआ़ के सबब से वारिद हुवा या इस लिये कि औ़रतों को तोहमत लगाना कसीरुल वुक़ूअ़ है। **मस्अला 2 :** और ऐसे लोग जो ज़िना की तोहमत में सज़ायाब हों और उन पर ह़द जारी हो चुकी हो मर्दूदुश्शहादह हो जाते हैं, कभी उन की गवाही मक़्बूल नहीं होती। पारसा से मुराद वोह हैं जो मुसल्मान मुकल्लफ़, आज़ाद और ज़िना से पाक हों। **मस्अला 3 :** ज़िना की शहादत का निसाब चार गवाह हैं। **मस्अला 4 :** ह़द्दे क़ज़्फ़ मुत़ालबे पर मश्रूत़ है, जिस पर तोहमत लगाई गई है अगर वोह मुत़ालबा न करे तो क़ाज़ी पर ह़द क़ाइम करना लाज़िम नहीं। **मस्अला 5 :** मुत़ालबे का ह़क़ उसी को है जिस पर तोहमत लगाई गई है अगर वोह ज़िन्दा हो, और अगर मर गया हो तो उस के बेटे पोते को भी है। **मस्अला 6 :** ग़ुलाम अपने मौला पर और बेटा बाप पर क़ज़्फ़ या'नी अपनी मां पर ज़िना की तोहमत लगाने का दा'वा नहीं कर सकता। **मस्अला 7 :** क़ज़्फ़ के अल्फ़ाज़ येह हैं कि वोह सराह़तन किसी को या ज़ानी कहे या येह कहे कि तू अपने बाप से नहीं है या उस के बाप का नाम ले कर कहे कि तू फ़ुलां का बेटा नहीं है या उस को ज़ानिया का बेटा कह कर पुकारे और हो उस की मां पारसा तो ऐसा शख़्स क़ाज़िफ़ हो जाएगा और उस पर तोहमत की ह़द आएगी। **मस्अला 8 :** अगर ग़ैर मुह़सन को ज़िना की तोहमत लगाई मसलन किसी ग़ुलाम को या काफ़िर को या ऐसे शख़्स को जिस का कभी ज़िना करना साबित हो तो उस पर ह़द्दे क़ज़्फ़ क़ाइम न होगी, बल्कि उस पर ता'ज़ीर वाजिब होगी और येह ता'ज़ीर तीन से उन्तालीस तक ह़स्बे तज्वीज़े ह़ाकिमे शर्अ़ कोड़े लगाना है। इसी त़रह़ अगर किसी शख़्स ने ज़िना के सिवा और किसी फ़ुजूर की तोहमत लगाई और पारसा मुसल्मान को ऐ फ़ासिक़, ऐ काफ़िर, ऐ ख़बीस, ऐ चोर, ऐ बदकार, ऐ मुख़न्नस, ऐ बद दियानत, ऐ लूती, ऐ ज़िन्दीक़, ऐ दय्यूस, ऐ शराबी, ऐ सूद ख़्वार, ऐ बदकार औ़रत के बच्चे, ऐ ह़राम ज़ादे, इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ कहे तो भी उस पर ता'ज़ीर वाजिब होगी। **मस्अला 9 :** इमाम या'नी ह़ाकिमे शर्अ़ को और उस शख़्स को जिसे तोहमत लगाई गई हो सुबूत से क़ब्ल मुआ़फ़ करने का ह़क़ है। **मस्अला 10 :** अगर तोहमत लगाने वाला आज़ाद न हो बल्कि ग़ुलाम हो तो उस को चालीस कोड़े लगाए जाएंगे। **मस्अला 11 :** तोहमत लगाने के जुर्म में जिस को ह़द लगाई गई हो उस की गवाही किसी मुआ़मले में मो'तबर नहीं, चाहे वोह तौबा करे। लेकिन रमज़ान का चांद देखने के बाब में तौबा करने और आ़दिल होने की सूरत में उस का क़ौल क़बूल कर लिया जाएगा क्यूं कि येह दर ह़क़ीक़त शहादत नहीं है इसी लिये इस में लफ़्ज़े शहादत और निसाबे शहादत भी शर्त़ नहीं। 10 : अपने अह़वाल व अफ़्आ़ल को दुरुस्त कर लें 11 : ज़िना का।

www.dawateislami.net

اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٦ وَالْخَامِسَةُ

गवाही येह है कि चार बार गवाही दे अल्लाह के नाम से कि वोह सच्चा है[12] और पांचवीं

اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٧ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ

येह कि अल्लाह की ला'नत हो उस पर अगर झूटा हो और औ़रत से यूं सज़ा टल जाएगी

اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٨ۙ وَالْخَامِسَةَ

कि वोह अल्लाह का नाम ले कर चार बार गवाही दे कि मर्द झूटा है[13] और पांचवीं

اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٩ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ

यूं कि औ़रत पर ग़ज़ब अल्लाह का अगर मर्द सच्चा हो[14] और अगर अल्लाह का फ़ज़्ल

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ۝١٠ ع اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ ع ٧

और उस की रह़मत तुम पर न होती और येह कि अल्लाह तौबा क़बूल फ़रमाता हिक्मत वाला है तो तुम्हारा पर्दा खोल देता बेशक वोह कि येह बड़ा

بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ؕ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ؕ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ

बोहतान लाए हैं तुम्हीं में की एक जमाअ़त है[15] उसे अपने लिये बुरा न समझो बल्कि वोह तुम्हारे लिये बेहतर है[16]

12 : औ़रत पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाने में। **13 :** उस पर ज़िना की तोहमत लगाने में। **14 :** इस को "लिआ़न" कहते हैं। **मस्अला :** जब मर्द अपनी बीबी पर ज़िना की तोहमत लगाए तो अगर मर्द व औ़रत दोनों शहादत के अह्ल हों और औ़रत इस पर मुत़ालबा करे तो मर्द पर लिआ़न वाजिब हो जाता है। अगर वोह लिआ़न से इन्कार करे तो उस को उस वक़्त तक क़ैद रखा जाएगा जब तक वोह लिआ़न करे या अपने झूट का मुक़िर हो। अगर झूट का इक़्रार करे तो उस को ह़द्दे क़ज़्फ़ लगाई जाएगी जिस का बयान ऊपर गुज़र चुका है। और अगर लिआ़न करना चाहे तो उस को चार मरतबा अल्लाह की क़सम के साथ कहना होगा कि वोह इस औ़रत पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाने में सच्चा है और पांचवीं मरतबा येह कहना होगा कि अल्लाह की ला'नत मुझ पर अगर मैं येह इल्ज़ाम लगाने में झूटा होउं। इतना करने के बा'द मर्द पर से ह़द्दे क़ज़्फ़ साक़ित़ हो जाएगी और औ़रत पर लिआ़न वाजिब होगा, इन्कार करेगी तो क़ैद की जाएगी यहां तक कि लिआ़न मन्ज़ूर करे या शोहर के इल्ज़ाम लगाने की तस्दीक़ करे। अगर तस्दीक़ की तो औ़रत पर ज़िना की ह़द लगाई जाएगी और अगर लिआ़न करना चाहे तो इस को चार मरतबा अल्लाह की क़सम के साथ कहना होगा कि मर्द इस पर ज़िना की तोहमत लगाने में झूटा है और पांचवीं मरतबा येह कहना होगा कि अगर मर्द इस इल्ज़ाम लगाने में सच्चा हो तो मुझ पर ख़ुदा का ग़ज़ब हो। इतना कहने के बा'द औ़रत से ज़िना की ह़द साक़ित़ हो जाएगी और लिआ़न के बा'द क़ाज़ी के तफ़्रीक़ करने से फ़ुरक़त वाक़ेअ़ होगी बिग़ैर इस के नहीं। और येह तफ़्रीक़ त़लाक़े बाइना होगी। और अगर मर्द अहले शहादत में से न हो मसलन ग़ुलाम हो या काफ़िर हो या उस पर क़ज़्फ़ की ह़द लग चुकी हो तो लिआ़न न होगा और तोहमत लगाने से मर्द पर ह़द्दे क़ज़्फ़ लगाई जाएगी। और अगर मर्द अहले शहादत में से हो और औ़रत में येह अहलिय्यत न हो इस त़रह़ कि वोह बांदी हो या काफ़िरा हो या उस पर क़ज़्फ़ की ह़द लग चुकी हो या बच्ची हो या मजनूना हो या ज़ानिया हो इस सूरत में न मर्द पर ह़द होगी और न लिआ़न। **शाने नुज़ूल :** येह आयत एक सह़ाबी के ह़क़ में नाज़िल हुई जिन्हों ने सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم से दरयाफ़्त किया था कि अगर आदमी अपनी औ़रत को ज़िना में मुब्तला देखे तो क्या करे न उस वक़्त गवाहों के तलाश करने की फ़ुरसत है और न बिग़ैर गवाही के वोह येह बात कह सकता है क्यूं कि इसे ह़द्दे क़ज़्फ़ का अन्देशा है। इस पर येह आयते करीमा नाज़िल हुई और लिआ़न का हुक्म दिया गया। **15 :** बड़े बोहतान से मुराद ह़ज़रते उम्मुल मुअमिनीन आइशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا पर तोहमत लगाना है। 5 सिने हिजरी ग़ज़्वए बनी अल मुस्त़लिक़ से वापसी के वक़्त क़ाफ़िला क़रीबे मदीना एक पड़ाव पर ठहरा तो उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते आइशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا ज़रूरत के लिये किसी गोशे में तशरीफ़ ले गईं, वहां हार आप का टूट गया, उस की तलाश में मसरूफ़ हो गईं। इधर क़ाफ़िले ने कूच किया और आप का मह़मल (कजावा) शरीफ़ ऊंट पर कस दिया और उन्हें येही ख़याल रहा कि उम्मुल मुअमिनीन इस में हैं। क़ाफ़िला चल दिया आप आ कर क़ाफ़िले की जगह बैठ

www.dawateislami.net

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ

उन में हर शख़्स के लिये वोह गुनाह है जो उस ने कमाया[17] और उन में वोह जिस ने सब से बड़ा हिस्सा लिया[18]

لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۱﴾ لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ

उस के लिये बड़ा अ़ज़ाब है[19] क्यूं न हुवा जब तुम ने उसे सुना था कि मुसल्मान मर्दों और मुसल्मान औ़रतों ने

بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۲﴾ لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ

अपनों पर नेक गुमान किया होता[20] और कहते येह खुला बोहतान है[21] इस पर चार गवाह

بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ

क्यूं न लाए तो जब गवाह न लाए तो वोही अल्लाह के नज़्दीक

गई और आप ने ख़याल किया कि मेरी तलाश में क़ाफ़िला ज़रूर वापस होगा। क़ाफ़िले के पीछे पड़ी गिरी चीज़ उठाने के लिये एक साहिब रहा करते थे, उस मौक़अ़ पर ह़ज़रते सफ़्वान इस काम पर थे। जब वोह आए और उन्हों ने आप को देखा तो बुलन्द आवाज़ से "اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ" पुकारा। आप ने कपड़े से पर्दा कर लिया, उन्हों ने अपनी ऊंटनी बिठाई आप उस पर सुवार हो कर लश्कर में पहुंचीं। मुनाफ़िक़ीने सियाह बातिन ने अवहामे फ़ासिदा फैलाए और आप की शान में बदगोई शुरूअ़ की। बा'ज़ मुसल्मान भी उन के फ़रेब में आ गए और उन की ज़बान से भी कोई कलिमए बेजा सरज़द हुवा। उम्मुल मुअमिनीन बीमार हो गईं और एक माह तक बीमार रहीं, उस ज़माने में उन्हें इत्तिलाअ़ न हुई कि उन की निस्बत मुनाफ़िक़ीन क्या बक रहे हैं। एक रोज़ उम्मे मिस्त़ह़ से उन्हें येह ख़बर मा'लूम हुई और इस से आप का मरज़ और बढ़ गया और इस सदमे में इस त़रह़ रोईं कि आप का आंसू न थमता था और न एक लम्ह़े के लिये नींद आती थी। इस ह़ाल में सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم पर वह्य नाज़िल हुई और ह़ज़रते उम्मुल मुअमिनीन की त़हारत में येह आयतें उतरीं और आप का शरफ़ो मर्तबा अल्लाह तआ़ला ने इतना बढ़ाया कि क़ुरआन की बहुत सी आयात में आप की त़हारत व फ़ज़ीलत बयान फ़रमाई गई। इस दौरान में सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم ने बर सरे मिम्बर ब क़सम फ़रमा दिया था : मुझे अपने अह़ल की पाकी व ख़ूबी बिल यक़ीन मा'लूम है तो जिस शख़्स ने इन के ह़क़ में बदगोई की है उस की त़रफ़ से मेरे पास कौन मा'ज़िरत पेश कर सकता है ? ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه ने फ़रमाया कि मुनाफ़िक़ीन बिल यक़ीन झूटे हैं उम्मुल मुअमिनीन बिल यक़ीन पाक हैं अल्लाह तआ़ला ने सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم के जिस्मे पाक को मख़्ख़ी के बैठने से मह़फ़ूज़ रखा कि वोह नजासतों पर बैठती है, कैसे हो सकता है कि वोह आप को बद औ़रत की सोह़बत से मह़फ़ूज़ न रखे ! ह़ज़रते उ़स्माने ग़नी رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه ने भी इस त़रह़ आप की त़हारत बयान की और फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने आप का साया ज़मीन पर न पड़ने दिया ताकि इस साए पर किसी का क़दम न पड़े तो जो परवर्दगार आप के साए को मह़फ़ूज़ रखता है किस त़रह़ मुम्किन है कि वोह आप के अह़ल को मह़फ़ूज़ न फ़रमाए। ह़ज़रत अ़लिय्ये मुर्तज़ा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه ने फ़रमाया कि एक जूं का ख़ून लगने से परवर्दगारे आ़लम ने आप को ना'लैन उतार देने का ह़ुक्म दिया, जो परवर्दगार आप की ना'ल शरीफ़ की इतनी सी आलूदगी को गवारा न फ़रमाए मुम्किन नहीं कि वोह आप के अह़ल की आलूदगी गवारा करे। इस त़रह़ बहुत से सह़ाबा और बहुत सी सह़ाबिय्यात ने क़समें खाईं, आयत नाज़िल होने से क़ब्ल ही ह़ज़रते उम्मुल मुअमिनीन की त़रफ़ से क़ुलूब मुत़मइन थे, आयत के नुज़ूल ने उन का इ़ज़्ज़ो शरफ़ और ज़ियादा कर दिया। तो बदगोयों की बदगोई अल्लाह और उस के रसूल और सह़ाबए किबार के नज़्दीक बातिल है और बदगोई करने वालों के लिये सख़्त तरीन मुसीबत है। **16 :** कि अल्लाह तबारक व तआ़ला तुम्हें इस पर जज़ा देगा और ह़ज़रते उम्मुल मुअमिनीन की शान और उन की बराअत ज़ाहिर फ़रमाएगा। चुनान्चे इस बराअत में उस ने अठ्ठारह आयतें नाज़िल फ़रमाईं। **17 :** या'नी ब क़दर उस के अ़मल के कि किसी ने तूफ़ान उठाया किसी ने बोहतान उठाने वाले की ज़बानी मुवाफ़क़त की कोई हंस दिया किसी ने ख़ामोशी के साथ सुन ही लिया जिस ने जो किया उस का बदला पाएगा। **18 :** कि अपने दिल से येह तूफ़ान घड़ा और इस को मश्हूर करता फिरा और वोह अ़ब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मुनाफ़िक़ है। **19 :** आख़िरत में। मरवी है कि उन बोहतान लगाने वालों पर ब ह़ुक्मे रसूले करीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم ह़द क़ाइम की गई और अस्सी अस्सी कोड़े लगाए गए। **20 :** क्यूं कि मुसल्मान को येही ह़ुक्म है कि मुसल्मान के साथ नेक गुमान करे और बद गुमानी मम्नूअ़ है। बा'ज़े गुमराह बेबाक येह कह गुज़रते हैं कि सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم को مَعَاذَ الله इस मुआ़मले में बद गुमानी हो गई थी। वोह मुफ़्तरी कज़्ज़ाब हैं और शाने रिसालत में ऐसा कलिमा कहते हैं जो मोमिनीन के ह़क़ में भी लाइक़ नहीं है। अल्लाह तआ़ला मोमिनीन से फ़रमाता है कि तुम ने नेक गुमान क्यूं न किया, तो कैसे मुम्किन था कि रसूले करीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم बद गुमानी करते। और ह़ुज़ूर की निस्बत बद गुमानी का लफ़्ज़ कहना बड़ी सियाह बातिनी है ख़ास कर ऐसी ह़ालत में जब कि बुख़ारी शरीफ़ की ह़दीस में है कि ह़ुज़ूर ने ब क़सम फ़रमाया कि मैं जानता हूं कि मेरे अह़ल पाक हैं जैसा कि ऊपर मज़्कूर हो चुका। **मस्अला :** इस से मा'लूम हुवा कि मुसल्मान पर बद

www.dawateislami.net

الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

झूटे हैं और अगर अल्लाह का फ़ज़्ल और उस की रह़मत तुम पर दुन्या और आख़िरत में न होती[22]

لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٤﴾ اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ

तो जिस चरचे में तुम पड़े उस पर तुम्हें बड़ा अ़ज़ाब पहुंचता जब तुम ऐसी बात अपनी ज़बानों पर एक दूसरे से सुन कर लाते थे

وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ

और अपने मुंह से वोह निकालते थे जिस का तुम्हें इ़ल्म नहीं और उसे सह़ल समझते थे[23] और वोह

عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ

अल्लाह के नज़्दीक बड़ी बात है[24] और क्यूं न हुवा जब तुम ने सुना था कहा होता कि हमें नहीं पहुंचता कि ऐसी बात

بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا

कहें[25] इलाही पाकी है तुझे[26] येह बड़ा बोहतान है अल्लाह तुम्हें नसीह़त फ़रमाता है कि अब कभी

لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧﴾ وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ

ऐसा न कहना अगर ईमान रखते हो और अल्लाह तुम्हारे लिये आयतें साफ़ बयान फ़रमाता है और अल्लाह

عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ

इ़ल्मो ह़िक्मत वाला है वोह लोग जो चाहते हैं कि मुसल्मानों में बुरा चरचा

اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ

फैले उन के लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है दुन्या[27] और आख़िरत में[28] और अल्लाह जानता है[29] और तुम

لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ

नहीं जानते और अगर अल्लाह का फ़ज़्ल और उस की रह़मत तुम पर न होती और येह कि अल्लाह तुम पर निहायत मेह़रबान

गुमानी करना ना जाइज़ है और जब किसी नेक शख़्स पर तोहमत लगाई जाए तो बिग़ैर सुबूत मुसल्मान को इस की मुवाफ़क़त और तस्दीक़ करना रवा नहीं। **21 :** बिल्कुल झूट है बे ह़क़ीक़त है। **22 :** और तुम पर फ़ज़्लो करम मन्ज़ूर न होता, जिस में से तौबा के लिये मोहलत देना भी है और आख़िरत में अ़फ़्वो मग़्फ़िरत फ़रमाना भी। **23 :** और ख़याल करते थे कि इस में बड़ा गुनाह नहीं **24 :** जुर्मे अ़ज़ीम है। **25 :** येह हमारे लिये रवा नहीं क्यूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। **26 :** इस से कि तेरे नबी की ह़रम को फ़ुजूर की आलूदगी पहुंचे। **मस्अला :** येह मुम्किन ही नहीं कि किसी नबी की बीबी बदकार हो सके अगर्चे उस का मुब्तलाए कुफ़्र होना मुम्किन है क्यूं कि अम्बिया कुफ़्फ़ार की त़रफ़ मब्ऊ़स होते हैं तो ज़रूरी है कि जो चीज़ कुफ़्फ़ार के नज़्दीक भी क़ाबिले नफ़रत हो उस से वोह पाक हों और ज़ाहिर है कि औ़रत की बदकारी उन के नज़्दीक क़ाबिले नफ़रत है। (کبیر وغیرہ) **27 :** या'नी इस जहान में, और वोह ह़द क़ाइम करना है चुनान्चे इब्ने उबय और ह़स्सान और मिस्त़ह़ के ह़द लगाई गई। (مدارک) **28 :** दोज़ख़। अगर बे तौबा मर जाएं। **29 :** दिलों के राज़ और बात़िन के अह़वाल।

www.dawateislami.net

رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ وَ مَنْ

मेहर वाला है तो तुम इस का मज़ा चखते[30] ऐ ईमान वालो शैतान के क़दमों पर न चलो और जो

يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لَوْ لَا فَضْلُ

शैतान के क़दमों पर चले तो वोह तो बे हयाई और बुरी ही बात बताएगा[31] और अगर अल्लाह का

اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ

फ़ज़्ल और उस की रहमत तुम पर न होती तो तुम में कोई भी कभी सुथरा न हो सकता[32] हां अल्लाह सुथरा कर देता है

مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢١﴾ وَ لَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ

जिसे चाहे[33] और अल्लाह सुनता जानता है और क़सम न खाएं वोह जो तुम में फ़ज़ीलत वाले[34] और

السَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْۤا اُولِي الْقُرْبٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ

गुन्जाइश वाले हैं[35] क़राबत वालों और मिस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को

اللّٰهِ ۖ وَ لْيَعْفُوْا وَ لْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ

देने की और चाहिये कि मुआफ़ करें और दर गुज़रें क्या तुम इसे दोस्त नहीं रखते कि अल्लाह तुम्हारी बख़्शिश करे और अल्लाह

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ

बख़्शने वाला मेहरबान है[36] बेशक वोह जो ऐब लगाते हैं अन्जान[37] पारसा ईमान वालियों को[38]

لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۪ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾ ۙ يَّوْمَ تَشْهَدُ

उन पर ला'नत है दुन्या और आख़िरत में और उन के लिये बड़ा अज़ाब है[39] जिस दिन[40] उन पर

30 : और अज़ाबे इलाही तुम्हें मोहलत न देता। **31 :** उस के वस्वसों में न पड़ो और बोहतान उठाने वालों की बातों पर कान न लगाओ। **32 :** और अल्लाह तआला उस को तौबा व हुस्ने अमल की तौफ़ीक़ न देता और अफ़्वो मग़्फ़िरत न फ़रमाता। **33 :** तौबा क़बूल फ़रमा कर। **34 :** और मन्ज़िलत वाले हैं दीन में। **35 :** सरवत व माल में। **शाने नुज़ूल :** येह आयत हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رضی اللہ تعالٰی عنہ के हक़ में नाज़िल हुई। आप ने क़सम खाई थी कि मिस्तह के साथ सुलूक न करेंगे और वोह आप की ख़ाला के बेटे थे, नादार थे मुहाजिर थे बद्री थे। आप ही उन का ख़र्च उठाते थे, मगर चूंकि उम्मुल मुअमिनीन पर तोहमत लगाने वालों के साथ उन्हों ने मुवाफ़क़त की थी इस लिये आप ने येह क़सम खाई, इस पर येह आयत नाज़िल हुई। **36 :** जब येह आयत सय्यिदे आलम صلی اللہ علیہ وسلم ने पढ़ी तो हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رضی اللہ تعالٰی عنہ ने कहा : बेशक मेरी आरज़ू है कि अल्लाह मेरी मग़्फ़िरत करे और मैं मिस्तह के साथ जो सुलूक करता था उस को कभी मौक़ूफ़ न करूंगा। चुनान्चे आप ने उस को जारी फ़रमा दिया। **मस्अला :** इस आयत से मा'लूम हुवा कि जो शख़्स किसी काम पर क़सम खाए फिर मा'लूम हो कि उस का करना ही बेहतर है तो चाहिये कि उस काम को करे और क़सम का कफ़्फ़ारा दे। हदीसे सहीह में येही वारिद है। **मस्अला :** इस आयत से हज़रते सिद्दीक़े अक्बर رضی اللہ تعالٰی عنہ की फ़ज़ीलत साबित हुई, इस से आप की उ़लुए शानो मर्तबत ज़ाहिर होती है कि अल्लाह तआला ने आप को उलुल फ़ज़्ल फ़रमाया और **37 :** औरतों को जो बदकारी और फ़ुजूर को जानती भी नहीं और बुरा ख़याल उन के दिल में भी नहीं गुज़रता और **38 :** हज़रते इब्ने अब्बास رضی اللہ تعالٰی عنہما ने फ़रमाया कि येह सय्यिदे आलम صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم की अज़्वाजे मुतह्हरात के औसाफ़ हैं। एक क़ौल येह है कि इस से तमाम ईमानदार पारसा औरतें मुराद हैं, इन के ऐब लगाने वालों पर अल्लाह

عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ

गवाही देंगी उन की ज़बानें[41] और उन के हाथ और उन के पाउं जो कुछ करते थे उस दिन

يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ﴿٢٥﴾

अल्लाह उन्हें उन की सच्ची सज़ा पूरी देगा[42] और जान लेंगे कि अल्लाह ही सरीह़ ह़क़ है[43]

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَ

गन्दियां गन्दों के लिये और गन्दे गन्दियों के लिये[44] और सुथरियां सुथरों के लिये और

الطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ

सुथरे सुथरियों के लिये वोह[45] पाक हैं उन बातों से जो येह[46] कह रहे हैं उन के लिये बख़्शिश

وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٦﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ ع ٩ ٣

और इ़ज़्ज़त की रोज़ी है[47] ऐ ईमान वालो अपने घरों के सिवा और घरों में न जाओ

حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ

जब तक इजाज़त न ले लो[48] और उन के साकिनों पर सलाम न कर लो[49] येह तुम्हारे लिये बेहतर है कि तुम

तआ़ला ला'नत फ़रमाता है। **39 :** येह अ़ब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मुनाफ़िक़ के ह़क़ में है। (خازن) **40 :** या'नी रोज़े क़ियामत **41 :** ज़बानों का गवाही देना तो उन के मूंहों पर मोहरें लगाए जाने से क़ब्ल होगा और इस के बा'द मूंहों पर मोहरें लगा दी जाएंगी जिस से ज़बानें बन्द हो जाएंगी और आ'ज़ा बोलने लगेंगे और दुन्या में जो अ़मल किये थे उन की ख़बर देंगे जैसे कि आगे इर्शाद है। **42 :** जिस के वोह मुस्तह़िक़ हैं। **43 :** या'नी मौजूद ज़ाहिर है, उसी की क़ुदरत से हर चीज़ का वुजूद है। बा'ज़ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि मा'ना येह हैं कि कुफ़्फ़ार दुन्या में अल्लाह तआ़ला के वा'दों में शक करते थे अल्लाह तआ़ला आख़िरत में उन्हें उन के आ'माल की जज़ा दे कर उन वा'दों का ह़क़ होना ज़ाहिर फ़रमा देगा। **फ़ाएदा :** क़ुरआने करीम में किसी गुनाह पर ऐसी तग़्लीज़ व तश्दीद और तक्रार व ताकीद नहीं फ़रमाई गई जैसी कि ह़ज़रते आ़इशा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا के ऊपर बोहतान बांधने पर फ़रमाई गई। इस से सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم की रिफ़अ़ते मन्ज़िलत ज़ाहिर होती है। **44 :** या'नी ख़बीस के लिये ख़बीस लाइक़ है, ख़बीसा औ़रत ख़बीस मर्द के लिये और ख़बीस मर्द ख़बीसा औ़रत के लिये और ख़बीस आदमी ख़बीस बातों के दरपै होते हैं और ख़बीस बातें ख़बीस आदमी का वतीरा होती हैं। **45 :** या'नी पाक मर्द और औ़रतें जिन में से ह़ज़रते आ़इशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا और सफ़्वान हैं। **46 :** तोहमत लगाने वाले ख़बीस **47 :** या'नी सुथरों और सुथरियों के लिये जन्नत में। इस आयत से ह़ज़रते आ़इशा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا का कमाले फ़ज़्लो शरफ़ साबित हुवा कि वोह त़य्यिबा और पाक पैदा की गई और क़ुरआने करीम में उन की पाकी का बयान फ़रमाया गया और उन्हें मग़्फ़िरत और रिज़्क़े करीम का वा'दा दिया गया। ह़ज़रते उम्मुल मुअमिनीन आ़इशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا को अल्लाह ने बहुत ख़साइस अ़ता फ़रमाए जो आप के लिये क़ाबिले फ़ख़्र हैं, उन में से बा'ज़ येह हैं कि जिब्रीले अमीन सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم के ह़ुज़ूर में एक ह़रीर (रेशमी कपड़े) पर आप की तस्वीर लाए और अ़र्ज़ किया कि येह आप की ज़ौजा हैं और येह कि नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم ने आप के सिवा किसी कुंवारी से निकाह़ न फ़रमाया और येह कि रसूले करीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم की वफ़ात आप की गोद में और आप की नौबत के दिन हुई और आप ही का ह़ुज्रए शरीफ़ा सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم का आराम गाह और आप का रौज़ए त़ाहिरा हुवा और येह कि बा'ज़ अवक़ात ऐसी ह़ालत में ह़ुज़ूर पर वह़्य नाज़िल हुई कि ह़ज़रते सिद्दीक़ा आप के साथ आप के लिह़ाफ़ में होतीं और येह कि आप ह़ज़रते सिद्दीक़े अक्बर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ ख़लीफ़ए रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم की दुख़्तर हैं और येह कि आप पाक पैदा की गईं और आप से मग़्फ़िरत व रिज़्क़े करीम का वा'दा फ़रमाया गया। **48 मस्अला :** इस आयत से साबित हुवा कि ग़ैर के घर में बे इजाज़त दाख़िल न हो और इजाज़त लेने का त़रीक़ा येह भी है कि बुलन्द आवाज़ से "سُبْحٰنَ اللّٰہ" या

www.dawateislami.net

تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ

ध्यान करो फिर अगर उन में किसी को न पाओ[50] जब भी बे मालिकों की इजाज़त के उन में न

لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا

जाओ[51] और अगर तुम से कहा जाए वापस जाओ तो वापस हो[52] येह तुम्हारे लिये बहुत सुथरा है अल्लाह तुम्हारे

تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ

कामों को जानता है इस में तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि उन घरों में जाओ जो ख़ास किसी की सुकूनत

مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٢٩﴾

के नहीं[53] और उन के बरत्ने का तुम्हें इख़्तियार है और अल्लाह जानता है जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى

मुसल्मान मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें[54] और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें[55] येह उन के लिये बहुत

لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ

सुथरा है बेशक अल्लाह को उन के कामों की ख़बर है और मुसल्मान औ़रतों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ

"اَلْحَمْدُ لِلّٰه" या "اَللّٰهُ اَكْبَر" कहे या खन्कारे जिस से मकान वालों को मा'लूम हो कि कोई आना चाहता है या येह कहे कि क्या मुझे अन्दर आने की इजाज़त है। ग़ैर के घर से वोह घर मुराद है जिस में ग़ैर सुकूनत रखता हो ख़्वाह उस का मालिक हो या न हो। **49 मस्अला :** ग़ैर के घर जाने वाले की अगर साहिबे मकान से पहले ही मुलाक़ात हो जाए तो अव्वल सलाम करे फिर इजाज़त चाहे और अगर वोह मकान के अन्दर हो तो सलाम के साथ इजाज़त चाहे इस त़रह़ कि कहे : "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ" क्या मुझे अन्दर आने की इजाज़त है ? ह़दीस शरीफ़ में है कि सलाम को कलाम पर मुक़द्दम करो। ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह की क़िराअत भी इसी पर दलालत करती है। उन की क़िराअत यूं है : "حَتّٰى تُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا وَتَسْتَاْذِنُوْا" और येह भी कहा गया है कि पहले इजाज़त चाहे फिर सलाम करे। (مدارک،کشاف،احمدی) **मस्अला :** अगर दरवाज़े के सामने खड़े होने में बे पर्दगी का अन्देशा हो तो दाईं या बाईं जानिब खड़े हो कर इजाज़त त़लब करे। **मस्अला :** ह़दीस शरीफ़ में है अगर घर में मां हो जब भी इजाज़त त़लब करे। (مؤطاامام مالک) **50 :** या'नी मकान में इजाज़त देने वाला मौजूद न हो **51 :** क्यूं कि मिल्के ग़ैर में तसर्रुफ़ करने के लिये उस की रिज़ा ज़रूरी है। **52 :** और इजाज़त त़लब करने में इसरार व इल्ह़ाह़ (तक्रार) न करो। **मस्अला :** किसी का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खटखटाना और शदीद आवाज़ से चीख़ना ख़ास कर उ़लमा और बुज़ुर्गों के दरवाज़ों पर ऐसा करना उन को ज़ोर से पुकारना मक्रूह व ख़िलाफ़े अदब है। **53 :** मिस्ल सराए और मुसाफ़िर ख़ाने वग़ैरा के कि इस में जाने के लिये इजाज़त ह़ासिल करने की ह़ाजत नहीं। **शाने नुज़ूल :** येह आयत उन अस्ह़ाब के जवाब में नाज़िल हुई जिन्हों ने आयते इस्तीज़ान या'नी ऊपर वाली आयत नाज़िल होने के बा'द दरयाफ़्त किया था कि मक्कए मुकर्रमा और मदीनए त़य्यिबा के दरमियान और शाम की राह में जो मुसाफ़िर ख़ाने बने हुए हैं क्या उन में दाख़िल होने के लिये भी इजाज़त लेना ज़रूरी है। **54 :** और जिस चीज़ का देखना जाइज़ नहीं उस पर नज़र न डालें। **मसाइल :** मर्द का बदन ज़ेरे नाफ़ से घुटने के नीचे तक औ़रत (छुपाने की जगह) है इस का देखना जाइज़ नहीं और औ़रतों में से अपने म़हारिम और ग़ैर की बांदी का भी येही हुक्म है मगर इतना और है कि उन के पेट और पीठ का देखना भी जाइज़ नहीं और हुर्रा अज्नबिय्या के तमाम बदन का देखना मम्नूअ़ है "اِنْ لَّمْ يَاْمَنْ مِنَ الشَّهْوَةِ، وَاِنْ اَمِنَ مِنْهَا فَالْمَمْنُوْعُ النَّظَرُ اِلٰى مَاسِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفِّ وَالْقَدَمِ، وَمَنْ يَّاْمَنْ فَاِنَّ الزَّمَانَ زَمَانُ الْفَسَادِ فَلَا يَحِلُّ النَّظَرُ اِلَى الْحُرَّةِ الْاَجْنَبِيَّةِ مُطْلَقًا مِّنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ" मगर ब ह़ालते ज़रूरत क़ाज़ी व गवाह को और उस औ़रत से निकाह़ की ख़्वाहिश रखने वाले को चेहरा देखना जाइज़ है और अगर किसी औ़रत के ज़रीए से ह़ाल मा'लूम कर सकता हो तो न देखे और त़बीब को मौज़ए मरज़ का ब क़दरे ज़रूरत देखना जाइज़ है। **मस्अला :** अम्रद लड़के की त़रफ़ भी शह्वत से देखना ह़राम है। (مدارک واحمدی) **55 :** और ज़िना व ह़राम से बचें या येह मा'ना हैं कि अपनी शर्मगाहों और उन के लवाह़िक़ या'नी तमाम बदने औ़रत को छुपाएं और पर्दे का एहतिमाम रखें।

www.dawateislami.net

اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ

नीची रखें[56] और अपनी पारसाई की हिफ़ाज़त करें और अपना बनाव न दिखाएं[57] मगर जितना ख़ुद ही ज़ाहिर

مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۪ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا

है और दूपट्टे अपने गिरेबानों पर डाले रहें और अपना सिंगार ज़ाहिर न करें मगर

لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ

अपने शोहरों पर या अपने बाप[58] या शोहरों के बाप[59] या अपने बेटे[60] या शोहरों

بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ

के बेटे[61] या अपने भाई या अपने भतीजे या अपने भान्जे[62] या अपने दीन की औरतें

اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

या अपनी कनीज़ें जो अपने हाथ की मिल्क हों[63] या नोकर बशर्ते कि शहवत वाले मर्द न हों[64]

اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَلَا يَضْرِبْنَ

या वोह बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीज़ों की ख़बर नहीं[65] और ज़मीन पर

بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا

पाउं ज़ोर से न रखें कि जाना जाए उन का छुपा हुवा सिंगार[66] और अल्लाह की तरफ़ तौबा करो

56 : और ग़ैर मर्दों को न देखें। हदीस शरीफ़ में है कि अज़्वाजे मुतह्हरात में से बा'ज़ उम्महातुल मुअमिनीन सय्यिदे आलम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم की ख़िदमत में थीं, उसी वक़्त इब्ने उम्मे मक्तूम आए, हुज़ूर ने अज़्वाज को पर्दे का हुक्म फ़रमाया। उन्हों ने अर्ज़ किया कि वोह तो नाबीना हैं। फ़रमाया : तुम तो नाबीना नहीं हो। (ترمذی وابوداود) इस हदीस से मा'लूम हुवा कि औरतों को भी ना महरम का देखना और उस के सामने होना जाइज़ नहीं। **57 :** अज़्हर (ज़ियादा ज़ाहिर बात) येह है कि येह हुक्म नमाज़ का है, न नज़र का, क्यूं कि हुर्रा का तमाम बदन औरत है, शोहर और महरम के सिवा और किसी के लिये इस के किसी हिस्से का देखना बे ज़रूरत जाइज़ नहीं और मुआलजा वग़ैरा की ज़रूरत से क़दरे ज़रूरत जाइज़ है। (تفسیر احمدی) **58 :** और इन्हीं के हुक्म में दादा परदादा वग़ैरा तमाम उसूल। **59 :** कि वोह भी महरम हो जाते हैं। **60 :** और इन्हीं के हुक्म में है इन की औलाद। **61 :** कि वोह भी महरम हो गए। **62 :** और इन्हीं के हुक्म में हैं चचा मामूं वग़ैरा तमाम महारिम। हज़रते उमर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ ने अबू उबैदा बिन जर्राह को लिखा था कि कुफ़्फ़ार अहले किताब की औरतों को मुसल्मान औरतों के साथ हम्माम में दाख़िल होने से मन्अ करें। इस से मा'लूम हुवा कि मुस्लिमा औरत को काफ़िरा औरत के सामने अपना बदन खोलना जाइज़ नहीं। **मस्अला :** औरत अपने ग़ुलाम से भी मिस्ल अज्नबी के पर्दा करे। (مدارک وغیرہ) **63 :** इन पर अपना सिंगार ज़ाहिर करना मम्नूअ नहीं और ग़ुलाम इन के हुक्म में नहीं, इस को अपनी मालिका के मवाज़ेए ज़ीनत को देखना जाइज़ नहीं। **64 :** मसलन ऐसे बूढ़े हों जिन्हें अस्लन शहवत बाक़ी नहीं रही हो और हों सालेह। **मस्अला :** अइम्मए हनफ़िय्या के नज़्दीक ख़सी और इन्नीन हुरमते नज़र में अज्नबी का हुक्म रखते हैं। **मस्अला :** इसी तरह क़बीहुल अफ़्आल मुख़न्नस से भी पर्दा किया जाए जैसा कि हदीसे मुस्लिम से साबित है। **65 :** वोह अभी नादान ना बालिग़ हैं। **66 :** या'नी औरतें घर के अन्दर चलने फिरने में भी पाउं इस क़दर आहिस्ता रखें कि उन के ज़ेवर की झन्कार न सुनी जाए। **मस्अला :** इसी लिये चाहिये कि औरतें बाजेदार झांझन न पहनें। हदीस शरीफ़ में है कि अल्लाह तआला उस क़ौम की दुआ नहीं क़बूल फ़रमाता जिन की औरतें झांझन पहनती हों। इस से समझना चाहिये कि जब ज़ेवर की आवाज़ अदमे क़बूले दुआ का सबब है तो ख़ास औरत की आवाज़ और उस की बे पर्दगी कैसी मूजिबे ग़ज़बे इलाही होगी, पर्दे की तरफ़ से बे परवाई तबाही का सबब है (अल्लाह की पनाह)। (تفسیر احمدی وغیرہ)

www.dawateislami.net

اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾ وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ

ऐ मुसल्मानो सब के सब इस उम्मीद पर कि तुम फ़लाह़ पाओ और निकाह़ कर दो अपनों में उन का जो बे निकाह़ हों[67] और

الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآىِٕكُمْ ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ

अपने लाइक़ बन्दों और कनीज़ों का अगर वोह फ़क़ीर हों तो अल्लाह उन्हें ग़नी कर देगा

مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ

अपने फ़ज़्ल के सबब[68] और अल्लाह वुस्अ़त वाला इ़ल्म वाला है चाहिये कि बचे रहें[69] वोह जो निकाह़ का मक़्दूर

نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا

नहीं रखते[70] यहां तक कि अल्लाह उन्हें मक़्दूर वाला कर दे अपने फ़ज़्ल से[71] और तुम्हारे हाथ की मिल्क बांदी ग़ुलामों में से

مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖۗ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ

जो येह चाहें कि कुछ माल कमाने की शर्त पर उन्हें आज़ादी लिख दो तो लिख दो[72] अगर उन में कुछ भलाई जानो[73] और इस पर उन की मदद करो

مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ؕ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ

अल्लाह के माल से जो तुम को दिया[74] और मजबूर न करो अपनी कनीज़ों को बदकारी पर जब कि वोह

تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ

बचना चाहें ताकि तुम दुन्यवी ज़िन्दगी का कुछ माल चाहो[75] और जो उन्हें मजबूर करेगा तो बेशक अल्लाह

67 : ख़्वाह मर्द या औ़रत, कुंवारे या ग़ैर कुंवारे। 68 : इस ग़ना से मुराद या क़नाअ़त है कि वोह बेहतरीन ग़ना है जो क़ानेअ़ (क़नाअ़त करने वाले) को तरद्दुद से बे नियाज़ कर देता है। या किफ़ायत कि एक का खाना दो के लिये काफ़ी हो जाए जैसा कि ह़दीस शरीफ़ में वारिद हुवा है या ज़ौज व ज़ौजा के दो रिज़्क़ों का जम्अ़ हो जाना या फ़राख़ी ब बरकते निकाह़ जैसा कि अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से मरवी है। 69 : ह़राम कारी से 70 : जिन्हें मह्र व नफ़क़ा मुयस्सर नहीं। 71 : और मह्र व नफ़क़ा अदा करने के क़ाबिल हो जाएं। ह़दीस शरीफ़ में है सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जो निकाह़ की क़ुदरत रखे वोह निकाह़ करे कि निकाह़ पारसाई व पाकबाज़ी का मुईन (मददगार) है और जिसे निकाह़ की क़ुदरत न हो वोह रोज़े रखे कि येह शह्वतों के तोड़ने वाले हैं। 72 : कि वोह इस क़दर माल अदा कर के आज़ाद हो जाएं, और इस त़रह़ की आज़ादी को किताबत कहते हैं और आयत में इस का अम्र इस्तिह़बाब के लिये है और येह इस्तिह़बाब उस शर्त के साथ मश्रूत़ है जो इस के बा'द ही आयत में मज़्कूर है। **शाने नुज़ूल :** ह़ुवैत़िब बिन अ़ब्दुल उ़ज़्ज़ा के ग़ुलाम सुबैह़ ने अपने मौला से किताबत की दरख़्वास्त की, मौला ने इन्कार किया, इस पर येह आयत नाज़िल हुई तो ह़ुवैत़िब ने उस को सो दीनार पर मुकातब कर दिया और उन में से बीस उस को बख़्श दिये, बाक़ी उस ने अदा कर दिये। 73 : भलाई से मुराद अमानत व दियानत और कमाई पर क़ुदरत रखना है कि वोह ह़लाल रोज़ी से माल ह़ासिल कर के आज़ाद हो सके और मौला को माल दे कर आज़ादी ह़ासिल करने के लिये भीक न मांगता फिरे। इसी लिये ह़ज़रते सलमान फ़ारसी رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ ने अपने ग़ुलाम को मुकातब करने से इन्कार फ़रमा दिया जो सिवाए भीक के कोई ज़रीआ़ कस्ब का न रखता था। 74 : मुसल्मानों को इर्शाद है कि वोह मुकातब ग़ुलामों को ज़कात वग़ैरा दे कर मदद करें जिस से वोह बदले किताबत दे कर अपनी गरदन छुड़ा सकें और आज़ाद हो सकें। 75 : या'नी त़मए माल में अन्धे हो कर कनीज़ों को बदकारी पर मजबूर न करें। **शाने नुज़ूल :** येह आयत अ़ब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मुनाफ़िक़ के ह़क़ में नाज़िल हुई जो माल ह़ासिल करने के लिये अपनी कनीज़ों को बदकारी पर मजबूर करता था, उन कनीज़ों ने सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم से इस की शिकायत की, इस पर येह आयते करीमा नाज़िल हुई।

www.dawateislami.net

بَعۡدِ اِكۡرَاهِهِنَّ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدۡ اَنۡزَلۡنَاۤ اِلَيۡكُمۡ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ

बा'द इस के कि वोह मजबूरी ही की हालत पर रहें बख़्शने वाला मेहरबान है[76] और बेशक हम ने उतारीं तुम्हारी तरफ़ रोशन आयतें[77]

وَّ مَثَلًا مِّنَ الَّذِيۡنَ خَلَوۡا مِنۡ قَبۡلِكُمۡ وَمَوۡعِظَةً لِّلۡمُتَّقِيۡنَ ﴿٣٤﴾ ع اَللّٰهُ

ع ١٠

और कुछ उन लोगों का बयान जो तुम से पहले हो गुज़रे और डर वालों के लिये नसीहत अल्लाह

نُوۡرُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ مَثَلُ نُوۡرِهٖ كَمِشۡكٰوةٍ فِيۡهَا مِصۡبَاحٌ ؕ

नूर है[78] आस्मानों और ज़मीन का उस के नूर की[79] मिसाल ऐसी जैसे एक ताक़ कि उस में चराग़ है

اَلۡمِصۡبَاحُ فِىۡ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوۡكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوۡقَدُ مِنۡ

वोह चराग़ एक फ़ानूस में है वोह फ़ानूस गोया एक सितारा है मोती सा चमकता रोशन होता है

شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيۡتُوۡنَةٍ لَّا شَرۡقِيَّةٍ وَّلَا غَرۡبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيۡتُهَا يُضِىۡٓءُ

बरकत वाले पेड़ ज़ैतून से[80] जो न पूरब (मशरिक़) का न पश्चिम (मग़रिब) का[81] क़रीब है कि उस का तेल[82] भड़क उठे

وَلَوۡ لَمۡ تَمۡسَسۡهُ نَارٌ ؕ نُوۡرٌ عَلٰى نُوۡرٍ ؕ يَهۡدِى اللّٰهُ لِنُوۡرِهٖ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ

अगर्चे उसे आग न छूए नूर पर नूर है[83] अल्लाह अपने नूर की राह बताता है जिसे चाहता है

76 : और वबाले गुनाह मजबूर करने वाले पर। 77 : जिन्हों ने ह़लाल व ह़राम, ह़ुदूद व अह़काम सब को वाज़ेह़ कर दिया। 78 : "नूर" अल्लाह तआ़ला के नामों में से एक नाम है। ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا ने फ़रमाया : मा'ना येह हैं कि अल्लाह आस्मान व ज़मीन का हादी है तो अहले समावात व अर्ज़ उस के नूर से ह़क़ की राह पाते हैं और उस की हिदायत से गुमराही की ह़ैरत से नजात ह़ासिल करते हैं। बा'ज़ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया : मा'ना येह हैं कि अल्लाह तआ़ला आस्मान व ज़मीन का मुनव्वर फ़रमाने वाला है उस ने आस्मानों को मलाएका से और ज़मीन को अम्बिया से मुनव्वर किया। 79 : अल्लाह के नूर से या तो क़ल्बे मोमिन की वोह नूरानिय्यत मुराद है जिस से वोह हिदायत पाता और राहयाब होता है। ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا ने फ़रमाया कि अल्लाह के उस नूर की मिसाल जो उस ने मोमिन को अ़ता फ़रमाया। बा'ज़ मुफ़स्सिरीन ने उस नूर से कुरआन मुराद लिया और एक तफ़्सीर येह है कि उस नूर से मुराद सय्यिदे काएनात अफ़्ज़ले मौजूदात ह़ज़रत रह़मते आ़लम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَسَلَّم हैं। 80 : येह दरख़्त निहायत कसीरुल बरकत है क्यूं कि इस का रोग़न जिस को "ज़ैत" कहते हैं निहायत साफ़ व पाकीज़ा रोशनी देता है, सर में भी लगाया जाता है, सालन और नान ख़ोरिश (गोश्त, मछली वग़ैरा) की जगह रोटी से भी खाया जाता है। दुन्या के और किसी तेल में येह वस्फ़ नहीं और दरख़्ते ज़ैतून के पत्ते नहीं गिरते। (خازن) 81 : बल्कि वस्त़ का है कि न उसे गरमी से ज़रर पहुंचे न सरदी से। और वोह निहायत अज्वदो आ'ला है और उस के फल ग़ायत ए'तिदाल में। 82 : अपनी सफ़ा व लत़ाफ़त के बाइ़स ख़ुद 83 : इस तम्सील के मा'ना में अहले इ़ल्म के कई क़ौल हैं एक येह कि नूर से मुराद हिदायत है और मा'ना येह हैं कि अल्लाह तआ़ला की हिदायत ग़ायते ज़ुहूर में है कि आ़लमे मह़सूसात में इस की तश्बीह ऐसे रोशन दान से हो सकती है जिस में साफ़ शफ़्फ़ाफ़ फ़ानूस हो उस फ़ानूस में ऐसा चराग़ हो जो निहायत ही बेहतर और मुसफ़्फ़ा ज़ैतून से रोशन हो कि इस की रोशनी निहायत आ'ला और साफ़ हो। और एक क़ौल येह है कि येह तम्सील नूरे सय्यिदे अम्बिया मुह़म्मद मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَسَلَّم की है। ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا ने का'ब अह़बार से फ़रमाया कि इस आयत के मा'ना बयान करो, उन्हों ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने अपने नबी صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَسَلَّم की मिसाल बयान फ़रमाई रोशन दान (त़ाक़) तो ह़ुज़ूर का सीना शरीफ़ है और फ़ानूस क़ल्बे मुबारक और चराग़ नुबुव्वत कि शजरे नुबुव्वत से रोशन है और उस नूरे मुह़म्मदी की रोशनी व इज़ाअत इस मर्तबए कमाले ज़ुहूर पर है कि अगर आप अपने नबी होने का बयान भी न फ़रमाएं जब भी ख़ल्क़ पर ज़ाहिर हो जाए। और ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا से मरवी है कि रोशन दान तो सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَسَلَّم का सीना मुबारक है और फ़ानूस क़ल्बे अत़हर और चराग़ वोह नूर जो अल्लाह तआ़ला ने उस में रखा कि शर्क़ी है न

www.dawateislami.net

وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۳۵﴾ فِیْ بُیُوْتٍ

और अल्लाह मिसालें बयान फ़रमाता है लोगों के लिये और अल्लाह सब कुछ जानता है उन घरों में

اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ فِیْهَا اسْمُهٗ ۙ یُسَبِّحُ لَهٗ فِیْهَا بِالْغُدُوِّ

जिन्हें बुलन्द करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है[84] और उन में उस का नाम लिया जाता है अल्लाह की तस्बीह़ करते हैं उन में सुब्ह़

وَالْاٰصَالِ ﴿۳۶﴾ رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِیْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

और शाम[85] वोह मर्द जिन्हें ग़ाफ़िल नहीं करता कोई सौदा और न ख़रीदो फ़रोख़्त अल्लाह की याद[86]

وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِیْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۪ۙ یَخَافُوْنَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیْهِ

और नमाज़ बरपा रखने[87] और ज़कात देने से[88] डरते हैं उस दिन से जिस में उलट जाएंगे

الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ﴿۳۷﴾ لِیَجْزِیَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَیَزِیْدَهُمْ

दिल और आंखें[89] ताकि अल्लाह उन्हें बदला दे उन के सब से बेहतर काम का और अपने फ़ज़्ल से उन्हें

مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِیْنَ

इन्आम ज़ियादा दे और अल्लाह रोज़ी देता है जिसे चाहे बे गिनती और जो

كَفَرُوْۤا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِیْعَةٍ یَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰۤى اِذَا

काफ़िर हुए उन के काम ऐसे हैं जैसे धूप में चमकता रेता किसी जंगल में कि प्यासा उसे पानी समझे यहां तक जब

ग़र्बी, न यहूदी न नसरानी, एक शजरए मुबारका से रोशन है वोह शजर ह़ज़रते इब्राहीम عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام हैं, नूरे क़ल्बे इब्राहीम पर नूरे मुह़म्मदी नूर पर नूर है। और मुह़म्मद बिन का'ब क़ुरज़ी ने कहा कि रोशन दान व फ़ानूस तो ह़ज़रते इस्माईल عَلَيْهِ السَّلَام हैं और चराग़ सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم और शजरए मुबारका ह़ज़रते इब्राहीम عَلَيْهِ السَّلَام कि अक्सर अम्बिया आप की नस्ल से हैं और शर्क़ी व ग़र्बी न होने के येह मा'ना हैं कि ह़ज़रते इब्राहीम عَلَيْهِ السَّلَام न यहूदी थे न नसरानी, क्यूं कि यहूद मग़रिब की त़रफ़ नमाज़ पढ़ते हैं और नसारा मशरिक़ की त़रफ़। क़रीब है कि मुह़म्मद मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم के महासिन व कमालात नुज़ूले वह्य से क़ब्ल ही ख़ल्क़ पर ज़ाहिर हो जाएं, नूर पर नूर येह कि नबी हैं नस्ले नबी से नूरे मुह़म्मदी है नूरे इब्राहीमी पर। इस के इ़लावा और भी बहुत अक़्वाल हैं। (خازن) **84 :** और उन की ता'ज़ीम व तत़्हीर लाज़िम की। मुराद उन घरों से मस्जिदें हैं। ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا ने फ़रमाया : मस्जिदें बैतुल्लाह हैं ज़मीन में। **85 :** तस्बीह़ से मुराद नमाज़ें हैं, सुब्ह़ की तस्बीह़ से फ़ज्र और शाम से ज़ोह़र व अ़स्र व मग़रिब व इ़शा मुराद हैं। **86 :** और उस के ज़िक्रे क़ल्बी व लिसानी और अवक़ाते नमाज़ पर मस्जिदों की ह़ाज़िरी से **87 :** और उन्हें वक़्त पर अदा करने से। ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا बाज़ार में थे, मस्जिद में नमाज़ के लिये इक़ामत कही गई, आप ने देखा कि बाज़ार वाले उठे और दुकानें बन्द कर के मस्जिद में दाख़िल हो गए। तो फ़रमाया कि आयत "رِجَالٌ لَّا تُلْهِیْهِمْ" ऐसे ही लोगों के ह़क़ में है। **88 :** उस के वक़्त पर। **89 :** दिलों का उलट जाना येह है कि शिद्दते ख़ौफ़ व इज़्त़िराब से उलट कर गले तक चढ़ जाएंगे, न बाहर निकलें न नीचे उतरें और आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी। या येह मा'ना हैं कुफ़्फ़ार के दिल कुफ़्रो शक से ईमान व यक़ीन की त़रफ़ पलट जाएंगे और आंखों से पर्दे उठ जाएंगे येह तो उस दिन का बयान है, आयत में येह इर्शाद फ़रमाया गया कि वोह फ़रमां बरदार बन्दे जो ज़िक्रो त़ाअ़त में निहायत मुस्तइ़द रहते हैं और इ़बादत की अदा में सरगर्म रहते हैं बा वुजूद इस हुस्ने अ़मल के इस रोज़ से ख़ाइफ़ रहते हैं और समझते हैं कि अल्लाह तआ़ला की इ़बादत का ह़क़ अदा न हो सका।

www.dawateislami.net

جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّ وَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ

उस के पास आया तो उसे कुछ न पाया[90] और अल्लाह को अपने क़रीब पाया तो उस ने उस का हिसाब पूरा भर दिया और अल्लाह

سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۳۹﴾ اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ

जल्द हिसाब कर लेता है या[91] जैसे अंधेरियां किसी कुन्डे के दरिया में[92] उस के ऊपर मौज मौज के ऊपर और

مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَاۤ اَخْرَجَ

मौज उस के ऊपर बादल अंधेरे हैं एक पर एक[93] जब अपना हाथ निकाले

يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَ مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ﴿۴۰﴾ ع ۱۱

तो सुझाई देता मा'लूम न हो[94] और जिसे अल्लाह नूर न दे उस के लिये कहीं नूर नहीं[95]

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ

क्या तुम ने न देखा कि अल्लाह की तस्बीह़ करते हैं जो कोई आस्मानों और ज़मीन में हैं और परिन्दे[96] पर फैलाए

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَ تَسْبِيْحَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿۴۱﴾ وَ لِلّٰهِ

सब ने जान रखी है अपनी नमाज़ और अपनी तस्बीह़ और अल्लाह उन के कामों को जानता है और अल्लाह ही

مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿۴۲﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ

के लिये है सल्त़नत आस्मानों और ज़मीन की और अल्लाह ही की त़रफ़ फिर जाना क्या तू ने न देखा कि अल्लाह

يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ

नर्म नर्म चलाता है बादल को[97] फिर उन्हें आपस में मिलाता है[98] फिर उन्हें तह पर तह कर देता है तो तू देखे कि उस के

90 : या'नी पानी समझ कर उस की तलाश में चला, जब वहां पहुंचा तो पानी का नामो निशान न था, ऐसे ही काफ़िर अपने ख़याल में नेकियां करता है और समझता है कि अल्लाह तआ़ला से इस का सवाब पाएगा, जब अ़रसाते क़ियामत (क़ियामत के मैदान) में पहुंचेगा तो सवाब न पाएगा बल्कि अ़ज़ाबे अ़ज़ीम में गिरिफ़्तार होगा और उस वक़्त उस की ह़सरत और उस का अन्दोह व ग़म उस प्यास से ब दरजहा ज़ियादा होगा। **91 :** आ'माले कुफ़्फ़ार की मिसाल ऐसी है **92 :** समुन्दरों की गहराई में **93 :** एक अंधेरा दरिया की गहराई का इस पर एक और अंधेरा मौजों के तराकुम (इकट्ठा होने) का इस पर और अंधेरा बादलों की घिरी हुई घटा का, इन अंधेरियों की शिद्दत का येह आ़लम कि जो इस में हो वोह **94 :** बा वुजूदे कि अपना हाथ निहायत ही क़रीब और अपने जिस्म का जुज़्व है जब वोह भी नज़र न आए तो और दूसरी चीज़ क्या नज़र आएगी, ऐसा ही ह़ाल है काफ़िर का कि वोह ए'तिक़ादे बात़िल और क़ौले नाह़क़ और अ़मले क़बीह़ की तारीकियों में गिरिफ़्तार है। बा'ज़ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि दरिया के कुन्डे और उस की गहराई से काफ़िर के दिल को और मौजों से जह्ल व शक व ह़ैरत को जो काफ़िर के दिल पर छाए हुए हैं और बादलों से मोहर को जो उन के दिलों पर है तश्बीह दी गई। **95 :** राहयाब वोही होता है जिस को वोह राह दे। **96 :** जो आस्मान व ज़मीन के दरमियान में हैं **97 :** जिस सर ज़मीन और जिन बिलाद की त़रफ़ चाहे। **98 :** और उन के मुतफ़र्रिक़ टुकड़ों को यक्जा कर देता है।

www.dawateislami.net

يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ

बीच में से मींह निकलता है और उतारता है आस्मान से उस में जो बर्फ़ के पहाड़ हैं उन में से कुछ ओले[99]

فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ

फिर डालता है उन्हें जिस पर चाहे[100] और फेर देता है उन्हें जिस से चाहे[101] क़रीब है कि उस की बिजली

يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ؕ﴿۴۳﴾ يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

की चमक आंख ले जाए[102] अल्लाह बदली करता है रात और दिन की[103] बेशक इस में

لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿۴۴﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ

समझने का मक़ाम है निगाह वालों को और अल्लाह ने ज़मीन पर हर चलने वाला पानी से बनाया[104] तो उन में

مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ

कोई अपने पेट पर चलता है[105] और उन में कोई दो पाउं पर चलता है[106] और उन में कोई

يَّمْشِيْ عَلٰۤى اَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

चार पाउं पर चलता है[107] अल्लाह बनाता है जो चाहे बेशक अल्लाह सब कुछ

قَدِيْرٌ ﴿۴۵﴾ لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى

कर सकता है बेशक हम ने उतारीं साफ़ बयान करने वाली आयतें[108] और अल्लाह हिदायत देता है जिसे चाहे

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۴۶﴾ وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ

सीधी राह दिखाए[109] और कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह और रसूल पर और हुक्म माना फिर

99 : इस के मा'ना या तो येह हैं कि जिस तरह ज़मीन में पथ्थर के पहाड़ हैं ऐसे ही आस्मान में बर्फ़ के पहाड़ अल्लाह तआ़ला ने पैदा किये हैं और येह उस की क़ुदरत से कुछ बईद नहीं, उन पहाड़ों से ओले बरसाता है। या येह मा'ना हैं कि आस्मान से ओलों के पहाड़ के पहाड़ बरसाता है या'नी ब कसरत ओले बरसाता है। (مدارک وغیرہ) **100 :** और जिस के जान व माल को चाहता है उन से हलाक व तबाह करता है। **101 :** उस के जान व माल को महफ़ूज़ रखता है। **102 :** और रोशनी की तेज़ी से आंखों को बेकार कर दे। **103 :** कि रात के बा'द दिन लाता है और दिन के बा'द रात। **104 :** या'नी तमाम अज्नासे हैवान को पानी की जिन्स से पैदा किया और पानी इन सब की अस्ल है और येह सब बा वुजूद मुत्तहिदुल अस्ल होने के बाहम किस क़दर मुख़्तलिफ़ुल हाल हैं, येह ख़ालिक़े आ़लम के इल्मो हिक्मत और उस के कमाले क़ुदरत की दलीले रोशन है। **105 :** जैसे कि सांप और मछली और बहुत से कीड़े। **106 :** जैसे कि आदमी और परिन्द। **107 :** मिस्ल बहाइम और दरिन्दों के। **108 :** या'नी क़ुरआने करीम जिस में हिदायत व अह़काम और ह़लाल व ह़राम का वाज़ेह़ बयान है। **109 :** और सीधी राह जिस पर चलने से रिज़ाए इलाही व ने'मते आख़िरत मुयस्सर हो दीने इस्लाम है। आयात का ज़िक्र फ़रमाने के बा'द येह बताया जाता है कि इन्सान तीन फ़िर्क़ों में मुन्क़सिम हो गए, एक वोह जिन्हों ने ज़ाहिर में तस्दीक़े ह़क़ की और बातिन में तक्ज़ीब करते रहे, वोह मुनाफ़िक़ हैं। दूसरे वोह जिन्हों ने ज़ाहिर में भी तस्दीक़ की और बातिन में भी मो'तक़िद रहे, येह मुख़्लिसीन हैं। तीसरे वोह जिन्हों ने ज़ाहिर में भी तक्ज़ीब की और बातिन में भी वोह कुफ़्फ़ार हैं, उन का ज़िक्र बित्तरतीब फ़रमाया जाता है।

www.dawateislami.net

يَتَوَلَّ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۷﴾ وَاِذَا

कुछ उन में के इस के बा'द फिर जाते हैं[110] और वोह मुसल्मान नहीं[111] और जब

دُعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۴۸﴾

बुलाए जाएं अल्लाह और उस के रसूल की त़रफ़ कि रसूल उन में फ़ैसला फ़रमाए तो जभी उन का एक फ़रीक़ मुंह फेर जाता है

وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْۤا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ﴿۴۹﴾ ؕ اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

और अगर उन की डिग्री हो (उन के ह़क़ में फ़ैसला हो) तो उस की त़रफ़ आएं मानते हुए[112] क्या उन के दिलों में बीमारी है[113]

اَمِ ارْتَابُوْۤا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ؕ بَلْ

या शक रखते हैं[114] या येह डरते हैं कि अल्लाह व रसूल उन पर ज़ुल्म करेंगे[115] बल्कि

اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۵۰﴾ ع اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ ع ٦ الثلثة ١٢

वोह ख़ुद ही ज़ालिम हैं मुसल्मानों की बात तो येही है[116] जब अल्लाह और रसूल की त़रफ़

وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ

बुलाए जाएं कि रसूल उन में फ़ैसला फ़रमाए तो अ़र्ज़ करें हम ने सुना और हुक्म माना और येही लोग

الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۵۱﴾ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ

मुराद को पहुंचे और जो हुक्म माने अल्लाह और उस के रसूल का और अल्लाह से डरे और परहेज़ गारी करे तो येही

هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿۵۲﴾ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ

लोग काम्याब हैं और उन्हों ने[117] अल्लाह की क़सम खाई अपने ह़ल्फ़ में ह़द की कोशिश से कि अगर तुम उन्हें हुक्म दोगे

110 : और अपने क़ौल की पाबन्दी नहीं करते। **111 :** मुनाफ़िक़ हैं क्यूं कि उन के दिल उन की ज़बानों के मुवाफ़िक़ नहीं। **112 :** कुफ़्फ़ार व मुनाफ़िक़ीन बारहा तजरिबा कर चुके थे और उन्हें कामिल यक़ीन था कि सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم का फ़ैसला सरासर ह़क़ व अ़द्ल होता है इस लिये उन में जो सच्चा होता वोह तो ख़्वाहिश करता था कि हुज़ूर उस का फ़ैसला फ़रमाएं और जो नाह़क़ पर होता वोह जानता था कि रसूले अकरम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم की सच्ची अ़दालत से वोह अपनी ना जाइज़ मुराद नहीं पा सकता, इस लिये वोह हुज़ूर के फ़ैसले से डरता और घबराता था। **शाने नुज़ूल :** बिश्र नामी एक मुनाफ़िक़ था, एक ज़मीन के मुआ़मले में इस का एक यहूदी से झगड़ा था, यहूदी जानता था कि इस मुआ़मले में वोह सच्चा है और उस को यक़ीन था कि सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم ह़क़ व अ़द्ल का फ़ैसला फ़रमाते हैं, इस लिये उस ने ख़्वाहिश की, कि येह मुक़द्दमा हुज़ूर عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام से फ़ैसल (ह़ल) कराया जाए, लेकिन मुनाफ़िक़ भी जानता था कि वोह बात़िल पर है और सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم अ़द्लो इन्साफ़ में किसी की रू रिआ़यत नहीं फ़रमाते, इस लिये वोह हुज़ूर के फ़ैसले पर तो राज़ी न हुवा और का'ब बिन अशरफ़ यहूदी से फ़ैसला कराने पर मुसिर हुवा और हुज़ूर की निस्बत कहने लगा कि वोह हम पर ज़ुल्म करेंगे, इस पर येह आयत नाज़िल हुई। **113 :** कुफ़्र या निफ़ाक़ की। **114 :** सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم की नुबुव्वत में। **115 :** ऐसा तो है नहीं क्यूं कि येह वोह ख़ूब जानते हैं कि सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم का फ़ैसला ह़क़ से मुतजाविज़ हो ही नहीं सकता और कोई बद दियानत आप की अ़दालत से पराया ह़क़ मारने में काम्याब नहीं हो सकता, इसी वज्ह से वोह आप के फ़ैसले से ए'राज़ करते हैं। **116 :** और उन को येह त़रीक़े अदब लाज़िम है कि **117 :** या'नी मुनाफ़िक़ीन ने। (مدارک)

www.dawateislami.net

لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا

तो वोह ज़रूर जिहाद को निकलेंगे तुम फ़रमा दो क़समें न खाओ[118] मुवाफ़िक़े शरअ़ हुक्म बरदारी चाहिये अल्लाह जानता है जो

تَعْمَلُوْنَ ﴿۵۳﴾ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا

तुम करते हो[119] तुम फ़रमाओ हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का[120] फिर अगर तुम मुंह फेरो[121] तो रसूल के ज़िम्मे वोही है

عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ؕ وَمَا

जो उस पर लाज़िम किया गया[122] और तुम पर वोह है जिस का बोझ तुम पर रखा गया[123] और अगर रसूल की फ़रमां बरदारी करोगे राह पाओगे और

عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿۵۴﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ

रसूल के ज़िम्मे नहीं मगर साफ़ पहुंचा देना[124] अल्लाह ने वा'दा दिया उन को जो तुम में से ईमान लाए और

عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ

अच्छे काम किये[125] कि ज़रूर उन्हें ज़मीन में ख़िलाफ़त देगा[126] जैसी उन से पहलों

قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ

को दी[127] और ज़रूर उन के लिये जमा देगा उन का वोह दीन जो उन के लिये पसन्द फ़रमाया है[128] और ज़रूर उन के अगले ख़ौफ़ को

خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ

अम्न से बदल देगा[129] मेरी इबादत करें मेरा शरीक किसी को न ठहराएं और जो इस के बा'द नाशुक्री करे

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۵۵﴾ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا

तो वोही लोग बे हुक्म हैं और नमाज़ बरपा रखो और ज़कात दो और रसूल की

118 : कि झूटी क़सम गुनाह है। **119 :** ज़बानी इताअ़त और अ़मली मुख़ालफ़त उस से कुछ छुपा नहीं। **120 :** सच्चे दिल और सच्ची निय्यत से। **121 :** रसूल عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की फ़रमां बरदारी से, तो इस में उन का कुछ ज़रर नहीं। **122 :** या'नी दीन की तब्लीग़ और अह़कामे इलाही का पहुंचा देना, इस को रसूल عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ने अच्छी तरह़ अदा कर दिया और वोह अपने फ़र्ज़ से ओ़हदा बरआ हो चुके। **123 :** या'नी रसूल عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की इताअ़त व फ़रमां बरदारी। **124 :** चुनान्चे रसूले अकरम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم ने बहुत वाज़ेह़ तौ़र पर पहुंचा दिया। **125 शाने नुज़ूल :** सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم ने वह्य नाज़िल होने से दस साल तक मक्कए मुकर्रमा में मअ़ अस्ह़ाब के क़ियाम फ़रमाया और कुफ़्फ़ार की ईज़ाओं पर जो शबो रोज़ होती रहती थीं सब्र किया, फिर ब हुक्मे इलाही मदीनए त़य्यिबा को हिजरत फ़रमाई और अन्सार के मनाज़िल (घरों) को अपनी सुकूनत से सरफ़राज़ किया, मगर कुरैश इस पर भी बाज़ न आए, रोज़मर्रा उन की त़रफ़ से जंग के ए'लान होते और त़रह़ त़रह़ की धम्कियां दी जातीं, अस्ह़ाबे रसूल صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم हर वक़्त ख़त़रे में रहते और हथियार साथ रखते, एक रोज़ एक सह़ाबी ने फ़रमाया : कभी ऐसा भी ज़माना आएगा कि हमें अम्न मुयस्सर हो और हथियारों के बार से हम सुबुक दोश हों, इस पर येह आयत नाज़िल हुई **126 :** और बजाए कुफ़्फ़ार के तुम्हारी फ़रमां रवाई होगी। ह़दीस शरीफ़ में है कि सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जिस जिस चीज़ पर शबो रोज़ गुज़रे हैं उन सब पर दीने इस्लाम दाख़िल होगा। **127 :** ह़ज़रते दावूद व सुलैमान वग़ैरा अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام को और जैसी कि जबाबिरए मिस्र व शाम को हलाक कर के बनी इसराईल को ख़िलाफ़त दी और इन ममालिक पर उन को मुसल्लत़ किया। **128 :** या'नी दीने इस्लाम को तमाम अद्यान पर ग़ालिब फ़रमाएगा। **129 :** चुनान्चे येह वा'दा पूरा हुवा और सर ज़मीने

www.dawateislami.net

الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٥٦﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ

फ़रमां बरदारी करो इस उम्मीद पर कि तुम पर रह़्म हो हरगिज़ काफ़िरों को ख़याल न करना कि वोह कहीं हमारे क़ाबू से निकल जाएं

فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٥٧﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ع ١٣

ज़मीन में और उन का ठिकाना आग है और ज़रूर क्या ही बुरा अन्जाम ऐ ईमान

اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ

वालो चाहिये कि तुम से इज़्न लें तुम्हारे हाथ के माल ग़ुलाम[130] और वोह जो तुम में अभी जवानी को न पहुंचे[131]

مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ

तीन वक़्त[132] नमाज़े सुब्ह़ से पहले[133] और जब तुम अपने कपड़े उतार रखते हो

مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۚ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ

दोपहर को[134] और नमाज़े इशा के बा'द[135] येह तीन वक़्त तुम्हारी शर्म के हैं[136] इन

عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى

तीन के बा'द कुछ गुनाह नहीं तुम पर न उन पर[137] आमदो रफ़्त रखते हैं तुम्हारे यहां एक दूसरे

अ़रब से कुफ़्फ़ार मिटा दिये गए, मुसल्मानों का तसल्लुत़ हुवा, मशरिक़ व मग़रिब के ममालिक अल्लाह तआ़ला ने उन के लिये फ़त्ह़ फ़रमाए, अकासिरा के ममालिक व ख़ज़ाइन उन के क़ब्ज़े में आए, दुन्या पर उन का रो'ब छा गया। **फ़ाएदा :** इस आयत में ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ और आप के बा'द होने वाले ख़ुलफ़ाए राशिदीन की ख़िलाफ़त की दलील है क्यूं कि इन के ज़माने में फ़ुतूह़ाते अ़ज़ीमा हुईं और किस्रा वग़ैरा मुलूक के ख़ज़ाइन (बादशाहों के ख़ज़ाने) मुसल्मानों के क़ब्ज़े में आए और अम्न व तम्कीन और दीन को ग़लबा ह़ासिल हुवा। तिरमिज़ी व अबू दावूद की ह़दीस में है कि सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم ने फ़रमाया : ख़िलाफ़त मेरे बा'द तीस साल है फिर मुल्क होगा। इस की तफ़्सील येह है कि ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ की ख़िलाफ़त दो बरस तीन माह और ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ की ख़िलाफ़त दस साल छ[6] माह और ह़ज़रते उ़स्माने ग़नी رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ की ख़िलाफ़त बारह साल और ह़ज़रत अ़लिय्ये मुर्तज़ा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ की ख़िलाफ़त चार साल नव माह और ह़ज़रते इमाम ह़सन رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ की ख़िलाफ़त छ[6] माह हुई। (خازن) **130 :** और बांदियां। **शाने नुज़ूल :** ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से मरवी है कि नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم ने एक अन्सारी ग़ुलाम मुदलिज बिन अ़म्र को दोपहर के वक़्त ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ के बुलाने के लिये भेजा। वोह ग़ुलाम वैसे ही ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ के मकान में चला गया, जब कि ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ बे तकल्लुफ़ अपने दौलत सराए में तशरीफ़ रखते थे, ग़ुलाम के अचानक चले आने से आप के दिल में ख़याल हुवा कि काश ग़ुलामों को इजाज़त ले कर मकानों में दाख़िल होने का हुक्म होता। इस पर येह आयए करीमा नाज़िल हुई। **131 :** बल्कि अभी क़रीबे बुलूग़ हैं। सिन्ने बुलूग़ ह़ज़रते इमाम अबू ह़नीफ़ा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ के नज़्दीक लड़के के लिये अठ्ठारह साल और लड़की के लिये सत्तरह साल और आ़म्मए उ़लमा के नज़्दीक लड़के और लड़की दोनों के लिये पन्दरह साल है। (تفسیر احمدی) **132 :** या'नी इन तीनों वक़्तों में इजाज़त ह़ासिल करें जिन का बयान इसी आयत में फ़रमाया जाता है। **133 :** कि वोह वक़्त है ख़्वाब गाहों से उठने और शब ख़्वाबी का लिबास उतार कर बेदारी के कपड़े पहनने का। **134 :** क़ैलूला करने के लिये और तहबन्द बांध लेते हो। **135 :** कि वोह वक़्त है बेदारी का लिबास उतारने और ख़्वाब का लिबास पहनने का। **136 :** कि इन अवक़ात में ख़ल्वत व तन्हाई होती है, बदन छुपाने का बहुत एहतिमाम नहीं होता, मुम्किन है कि बदन का कोई ह़िस्सा खुल जाए जिस के ज़ाहिर होने से शर्म आती है। लिहाज़ा इन अवक़ात में ग़ुलाम और बच्चे भी बे इजाज़त दाख़िल न हों और इन के इ़लावा जवान लोग तमाम अवक़ात में इजाज़त ह़ासिल करें किसी वक़्त भी बे इजाज़त दाख़िल न हों। (خازن وغیرہ) **137 : मस्अला :** या'नी इन तीन वक़्तों के सिवा बाक़ी अवक़ात में ग़ुलाम और बच्चे बे इजाज़त दाख़िल हो सकते हैं क्यूं कि वोह।

www.dawateislami.net

بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۵۸﴾ وَاِذَا

के पास[138] अल्लाह यूंही बयान करता है तुम्हारे लिये आयतें और अल्लाह इल्मो हिक्मत वाला है और जब

بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ

तुम में लड़के[139] जवानी को पहुंच जाएं तो वोह भी इज़्न मांगें[140] जैसे उन के अगलों[141] ने इज़्न

قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۵۹﴾ وَ

मांगा अल्लाह यूंही बयान फ़रमाता है तुम से अपनी आयतें और अल्लाह इल्मो हिक्मत वाला है और

الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ

बूढ़ी ख़ाना नशीन औरतें[142] जिन्हें निकाह़ की आरज़ू नहीं उन पर कुछ गुनाह नहीं

اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ ؕ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ

कि अपने बालाई कपड़े उतार रखें जब कि सिंगार न चमकाएं[143] और इस से बचना[144] उन के लिये और

لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۶۰﴾ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى

बेहतर है और अल्लाह सुनता जानता है न अन्धे पर तंगी[145] और न

الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا

लंगड़े पर मुज़ायक़ा और न बीमार पर रोक और न तुम में किसी पर कि खाओ अपनी

مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ

औलाद के घर[146] या अपने बाप के घर या अपनी मां के घर या अपने भाइयों के यहां

138 : काम व ख़िदमत के लिये, तो इन पर हर वक़्त इस्तीज़ान (इजाज़त लेने) का लाज़िम होना सबबे ह़रज होगा और शर्अ़ में ह़रज मदफ़ूअ़ (दूर किया गया) है। (مدارک) **139 :** या'नी आज़ाद। **140 :** तमाम अवक़ात में **141 :** उन से बड़े मर्दों **142 :** जिन का सिन ज़ियादा हो चुका और औलाद होने की उ़म्र न रही और पीराना साली (बुढ़ापे) के बाइ़स **143 :** और बाल सीना पिंडली वग़ैरा न खोलें। **144 :** बालाई कपड़ों को पहने रहना। **145 शाने नुज़ूल :** सईद बिन मुसय्यब رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से मरवी है कि सह़ाबए किराम नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم के साथ जिहाद को जाते तो अपने मकानों की चाबियां नाबीना और बीमारों और अपाहजों को दे जाते जो इन आ'ज़ार के बाइ़स जिहाद में न जा सकते और उन्हें इजाज़त देते कि इन के मकानों से खाने की चीज़ें ले कर खाएं, मगर वोह लोग इस को गवारा न करते ब ई ख़याल कि शायद येह उन को दिल से पसन्द न हो, इस पर येह आयत नाज़िल हुई और उन्हें इस की इजाज़त दी गई। और एक क़ौल येह है कि अन्धे अपाहज और बीमार लोग तन्दुरुस्तों के साथ खाने से बचते कि कहीं किसी को नफ़रत न हो, इस आयत में उन्हें इजाज़त दी गई। और एक क़ौल येह है कि जब अन्धे नाबीना अपाहज किसी मुसल्मान के पास जाते और उस के पास इन के खिलाने के लिये कुछ न होता तो वोह इन्हें किसी रिश्तेदार के यहां खिलाने के लिये ले जाता, येह बात इन लोगों को गवारा न होती। इस पर येह आयत नाज़िल हुई और इन्हें बताया गया कि इस में कोई ह़रज नहीं है। **146 :** कि औलाद का घर अपना ही घर है। ह़दीस शरीफ़ में है कि सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم ने फ़रमाया : तू और तेरा माल तेरे बाप का है। इसी त़रह़ शोहर के लिये बीवी का और बीवी के लिये शोहर का घर भी अपना ही घर है।

www.dawateislami.net

اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ

या अपनी बहनों के घर या अपने चचाओं के यहां या अपनी फूपियों के घर या अपने मामूओं

اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗۤ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ

के यहां या अपनी ख़ालाओं के घर या जहां की कुन्जियां तुम्हारे क़ब्ज़े में हैं[147] या अपने दोस्त के यहां[148]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا

तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं कि मिल कर खाओ या अलग अलग[149] फिर जब किसी घर में जाओ

فَسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ

तो अपनों को सलाम करो[150] मिलते वक़्त की अच्छी दुआ अल्लाह के पास से मुबारक पाकीज़ा अल्लाह यूंही

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۱﴾ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ ع ١٣

बयान फ़रमाता है तुम से आयतें कि तुम्हें समझ हो ईमान वाले तो वोही हैं जो अल्लाह

اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰۤى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى

और उस के रसूल पर यक़ीन लाए और जब रसूल के पास किसी ऐसे काम में हाज़िर हुए हों जिस के लिये जम्अ़ किये गए हों[151] तो न जाएं जब तक

يَسْتَاْذِنُوْهُ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

उन से इजाज़त न ले लें वोह जो तुम से इजाज़त मांगते हैं वोही हैं जो अल्लाह और उस के रसूल

وَرَسُوْلِهٖ ۚ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ

पर ईमान लाते हैं[152] फिर जब वोह तुम से इजाज़त मांगें अपने किसी काम के लिये तो उन में जिसे तुम चाहो इजाज़त

147 : हज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا ने फ़रमाया कि इस से मुराद आदमी का वकील और उस का कार परदाज़ है। **148 :** मा'ना येह हैं कि इन सब लोगों के घर खाना जाइज़ है ख़्वाह वोह मौजूद हों या न हों जब कि मा'लूम हो कि वोह इस से राज़ी हैं। सलफ़ (पहले के लोगों) का तो येह ह़ाल था कि आदमी अपने दोस्त के घर उस की ग़ैबत (ग़ैर मौजूदगी) में पहुंचता तो उस की बांदी से उस का कीसा (रक़म रखने का थेला) त़लब करता और जो चाहता उस में से ले लेता, जब वोह दोस्त घर आता और बांदी उस को ख़बर देती तो इस ख़ुशी में वोह बांदी को आज़ाद कर देता। मगर इस ज़माने में येह फ़य्याज़ी कहां! लिहाज़ा बे इजाज़त खाना न चाहिये। (مدارک وجلالین) **149 शाने नुज़ूल :** क़बीलए बनी लैस बिन अ़म्र के लोग तन्हा बिग़ैर मेहमान के खाना न खाते थे, कभी कभी मेहमान न मिलता तो सुब्ह से शाम तक खाना लिये बैठे रहते उन के ह़क़ में येह आयत नाज़िल हुई। **150 मस्अला :** जब आदमी अपने घर में दाख़िल हो तो अपने अह्ल को सलाम करे और उन लोगों को जो मकान में हों बशर्ते कि उन के दीन में ख़लल न हो। (خازن) **मस्अला :** अगर ख़ाली मकान में दाख़िल हो जहां कोई नहीं है तो कहे : "اَلسَّلَامُ عَلَی النَّبِیِّ وَ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی وَبَرَکَاتُہٗ اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰہِ الصّٰلِحِیْنَ، اَلسَّلَامُ عَلٰی اَھْلِ الْبَیْتِ وَرَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی وَ بَرَکَاتُہٗ" हज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا ने फ़रमाया कि मकान से यहां मस्जिदें मुराद हैं। नख़ई ने कहा कि जब मस्जिद में कोई न हो तो कहे : اَلسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ। (شفاء شریف) मुल्ला अ़ली क़ारी ने शर्ह़े शिफ़ा में लिखा कि ख़ाली मकान में सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ पर सलाम अ़र्ज़ करने की वज्ह येह है कि अहले इस्लाम के घरों में रूहे अक़्दस जल्वा फ़रमा होती है। **151 :** जैसे कि जिहाद और तदबीरे

www.dawateislami.net

مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٢﴾ لَا تَجْعَلُوْا

दे दो और उन के लिये अल्लाह से मुआ़फ़ी मांगो[153] बेशक अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है रसूल के

دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ؕ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ

पुकारने को आपस में ऐसा न ठहरा लो जैसा तुम में एक दूसरे को पुकारता है[154] बेशक अल्लाह जानता है जो

يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ

तुम में चुपके निकल जाते हैं किसी चीज़ की आड़ ले कर[155] तो डरें वोह जो रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ करते हैं कि

تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾ اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

उन्हें कोई फ़ितना पहुंचे[156] या उन पर दर्दनाक अ़ज़ाब पड़े[157] सुन लो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आस्मानों

وَ الْاَرْضِ ؕ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ اَنْتُمْ عَلَيْهِ ؕ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ

और ज़मीन में है बेशक वोह जानता है जिस ह़ाल पर तुम हो[158] और उस दिन को जिस में उस की त़रफ़ फेरे जाएंगे[159]

ع ١٥ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٤﴾

तो वोह उन्हें बता देगा जो कुछ उन्हों ने किया और अल्लाह सब कुछ जानता है[160]

اٰياتها ٧٧ | ٢٥ سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ ٤٢ | رکوعاتها ٦

सूरए फ़ुरक़ान मक्किय्या है, इस में सतत्तर आयतें और छ[6] रुकूअ़ हैं

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो निहायत मेहरबान रह़्म वाला[1]

जंग और जुमुआ़ व ईदैन और मश्वरा और हर इज्तिमाअ़ जो अल्लाह के लिये हो। **152 :** उन का इजाज़त चाहना निशाने फ़रमां बरदारी और दलीले सिह़्ह़ते ईमान है। **153 :** इस से मा'लूम हुवा कि अफ़्ज़ल येही है कि ह़ाज़िर रहें और इजाज़त त़लब न करें। **मस्अला :** इमामों और दीनी पेश्वाओं की मजलिस से भी बे इजाज़त न जाना चाहिये। (مدارک) **154 :** क्यूं कि जिस को रसूल صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم पुकारें उस पर इजाबत व ता'मील वाजिब हो जाती है और अदब से ह़ाज़िर होना लाज़िम होता है और क़रीब ह़ाज़िर होने के लिये इजाज़त त़लब करे और इजाज़त से ही वापस हो। और एक मा'ना मुफ़स्सिरीन ने येह भी बयान फ़रमाए हैं कि रसूल صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم को निदा करे तो अदबो तक्रीम और तौक़ीरो ता'ज़ीम के साथ, आप के मुअ़ज़्ज़म अल्क़ाब से, नर्म आवाज़ के साथ, मुतवाज़िआ़ना व मुन्कसिराना लहजे में "या नबिय्यल्लाह, या रसूलल्लाह, या ह़बीबल्लाह" कह कर। **155 : शाने नुज़ूल :** मुनाफ़िक़ीन पर रोज़े जुमुआ़ मस्जिद में ठहर कर नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم के ख़ुत्बे का सुनना गिरां होता था तो वोह चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता सह़ाबा की आड़ ले कर सरक्ते सरक्ते मस्जिद से निकल जाते थे। इस पर येह आयत नाज़िल हुई। **156 :** दुन्या में तक्लीफ़ या क़त्ल या ज़ल्ज़ले या और होलनाक ह़वादिस या ज़ालिम बादशाह का मुसल्लत़ होना या दिल का सख़्त हो कर मा'रिफ़ते इलाही से महरूम रहना। **157 :** आख़िरत में। **158 :** ईमान पर या निफ़ाक़ पर। **159 :** जज़ा के लिये, और वोह दिन रोज़े क़ियामत है। **160 :** उस से कुछ छुपा नहीं। **1 :** सूरए फ़ुरक़ान मक्किय्या है, इस में छ[6] रुकूअ़ और सतत्तर आयतें और आठ सो बानवे कलिमे और तीन हज़ार सात सो तीन ह़र्फ़ हैं।

www.dawateislami.net